संख्या:27/2018/874/35-4-2018

प्रेषक ,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:17 जुलाई,2018

विषय: वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत मा0 सदस्य विधानसभा एवं मा0 सदस्य विधान परिषद हेतु 100-100 हैण्डपम्पों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या 70/2017/642/35-4-2017 दिनांक 27 अक्टूबर,2017 के साथ पठित शासनादेश संख्या 1/2018/12/35-4-2018 दिनांक 05 जनवरी, 2018 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में शासनादेश संख्या 26/2018/823/35-4-2018 दिनांक 13 जून, 2018 द्वारा मा0 सदस्य विधानसभा एवं मा0 सदस्य विधान परिषद हेतु क्रमशः वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 50300 हैण्डपम्पों की रू0 22635.00 लाख की लागत पर एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 50300 हैण्डपम्पों की रू0 22635.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई है। एतद्द्वारा उक्त शासनादेशों द्वारा स्वीकृत हैण्डपम्पों के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुये ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य के साथ ही सबमर्सिबल पम्प के द्वारा पेयजल आपूर्ति के कार्य को अनुमन्य किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत 50300 हैण्डपम्पों के सापेक्ष जहॉ हैण्डपम्प लगाया जाना शेष है वहॉ सबमर्सिबल पम्प के द्वारा पेयजल आपूर्ति के कार्य की अनुमन्यता होगी।

2- मा0 सदस्यों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में 100 हैण्डपम्प लगवाये जा सकते हैं अथवा 100 हैण्डपम्पों की समतुल्य धनराशि के सापेक्ष सबमर्सिबल पम्प लगवाये जा सकते हैं।

3- प्रति हैण्डपम्प रू 45000/- की मानक दर के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु 100 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के लिये रू0 45.00 लाख की औसत लागत उभर कर आती है। इस औसत लागत के सपेक्ष मा0 सदस्य द्वारा 100 हैण्डपम्प लगवाये जा सकते है अथवा 100 हैण्डपम्प की समतुल्य राशि की सीमा के अंतर्गत सबमर्सिबल पम्प लगवाये जा सकते है अथवा कुछ संख्या में हैण्डपम्प एवं कुछ संख्या में सबमर्सिबल पम्प, दोनों ही रू0 45.00 लाख की औसत लागत सीमा के अंतर्गत लगवाये जायेंगे। सबमर्सिबल पम्प अधिष्ठापन हेतु कोई भी अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। इस प्रकार हैण्डपम्प/सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन कुल स्वीकृत धनराशि रू. 22635.00 लाख प्रति वर्ष की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। इस संबंध में मा0 सदस्य द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

4- हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु शासनादेश दिनांक 13 जून, 2018 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन के लिये भी यथावत रहेगी। अर्थात 9 जनपदों यथा- वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, झांसी, शाहजहॉपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली तथा अलीगढ़ में यू.पी.एग्रो व शेष 66 जनपदों में जल निगम कार्यदायी संस्था रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन हेतु नि:शुल्क भूमि की उपलब्धता, अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा अन्य सभी सम्बन्धित व्ययों को वहन करने का दायित्व नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायतों का होगा। परिसम्पत्ति के सृजन के उपरांत इसके रखरखाव हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को हस्तगत कर दिया जायेगा। भविष्य में परिसम्पत्ति का रख-रखाव एवं संचालन व्यय का दायित्व भी इन्हीं का होगा। इस हेतु पृथक से कोई धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

6- नगर विकास विभाग व ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अपने-अपने तय मापदण्डों एवं मानकों के अनुरूप सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर तत्सम्बन्धी पृथक-पृथक आदेश जारी किये जायेगें, जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सम्मिलित होगी।

7- सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन विशुद्व रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिये ही होगा और जनपद स्तर पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निजी स्थल पर इसका अधिष्ठापन न हो।

8- मा0 सदस्य विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा अधिष्ठापित होने वाले हैण्डपम्पों/ सबमर्सिबल पम्प की सूची जिलाधिकारी के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को उपलब्ध कराई जायेगी।

9- प्रस्तावित नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन में 150 की आबादी तथा 02 हैण्डपम्पों के मध्य न्यूनतम 75 मी0 की दूरी के निर्धारित मानक को ध्यान में रखा जायेगा।

10 - हैण्डपम्पों/सबमर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन कार्य विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रत्येक माननीय सदस्य की संस्तुति पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मानक के अनुसार कराया जायेगा।

11- माननीय सदस्य विधान परिषद द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैण्डपम्पों/सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन के लिये उपलब्ध कराई गई सूची में हैण्डपम्पों/ सबमर्सिबल पम्प की संख्या की सीमा को सुनिश्चित करने का दायित्व उ0प्र0 जल निगम के सम्बन्धित जोन के मुख्य अभियन्ता तथा प्रदेश स्तर पर यह सीमा सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ का होगा।

12- अधिष्ठापित होने वाले हैण्डपम्पों हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

13- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

14- शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के क्रम में उक्त कार्य का अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबन्धन के अंतर्गत किया जायेगा। इसके लिये प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम द्वारा निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु एक अधिकारी को नामित कर दिया जायेगा। स्वीकृति निर्गत होने के एक पक्ष के अन्दर शासन को निम्न सूचनायें अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी :-

अ - नामित अधिकारी का नाम/पदनाम

ब - नामित अधिकारी का मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी
(परिवर्तन होने पर अद्यावधिक सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाये)

स - परियोजना प्रारम्भ होने की अनुमानित/वास्तविक तिथि

द - परियोजना पूर्ण करने की अनुमानित तिथि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

15- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक पक्ष में परियोजना को अलग-अलग चरणों में विभाजित करते हुए प्रत्येक चरण को पूर्ण करने की सम्भावित तिथियों का निर्धारण किया जायेगा। यह कट-आफ तिथियॉ माइलस्टोन के रूप में जानी जायेगी। इन माइलस्टोनस में टेण्डर प्रक्रिया, अन्य विभागों से आवश्यक स्वीकृतियॉ/अनापत्तिया, निर्माण कार्य के अलग-अलग चरण, उपकरण क्रय, सृजित अवस्थापना को संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर क्रियाशील बनाना आदि सम्मिलित होगा। इसी आधार पर कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा शासन द्वारा आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

16- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तद विषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

17- हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन से पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।

18- प्रश्नगत कार्यों के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

19- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

20- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2019 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2019 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

21- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, द्वारा राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

22- जिलाधिकारी द्वारा जनपद में अधिष्ठापित होने वाले हैण्डपम्पों/सबमर्सिबल पम्प के लिये नियमानुसार स्थानो की सूची अधिकृत कार्यदायी संस्था को प्रदान की जायेगी।

23- जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय रखते हुये समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा।

24- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

25- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बन्धित अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम का होगा। प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा व्यय/प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध कराया जायेगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

26- अवमुक्त धनराशि का निर्धरित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

27- निर्माण कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा। अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
28- जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।
29- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
30- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
31- सबमर्सिबल पम्प के अनुरक्षण हेतु सम्बन्धित नगरीय/ग्रामीण निकाय द्वारा 3 या 5 साल का ओ एण्ड एम (संचालन एवं अनुश्रवण व्यय) किया जा सकता है। विद्युत पर होने वाला व्यय भार नगरीय/ग्रामीण निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1058/दस-2018 दिनांक 16 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस. यादव)
विशेष सचिव।

संख्या:27/2018/874(1)/35-4-2018 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/ नगर विकास/कृषि विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10-मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11-समस्त उप निदेशक अर्थ एवं संख्या, उ0प्र0।
12-गार्ड फाईल।
13-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5
14-राज्य योजना आयोग-1
15-समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस. यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in